expansion and development of Petrochemical industries in Maharashtra; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN): (a) and (b) Most of the items in the Petrochemical sector have been delicensed in the New Industrial policy and it is hoped that this would give an impetus to the growth of the industry in the States; including Maharashtra.

Service conditions of defence personnel

624. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to review the policy regarding pension and terms of service of Defence Personnel; and

(b) whether there is any proposal to reduce the retirement age of Defence Personnel and absorb them in Central Reserve Police Force, Border Security Force and other para-military and Police forces in the country?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) and (b) The overall policy regarding the pensions of Defence Services personnel is not intended to be reviewed. The terms of service, including the prescribed length of service, of such personnel are however, reviewed from time to time.

Instructions already exist for the reservation of jobs under the Government and Public Sector Undertakings for the placement of ex-Servicemen.

Report on the beneficiaries of Public Distribution System

625. SHRI VIREN J. SHAH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the report on the beneficiaries of the Public Distribution System of National Council of Applied Economic Research has identified more than 33 per cent PDS beneficiaries which do not fall under the poverty level, especially in urban areas;

(b) whether Government propose to reduce the supply of edible oil through the public disribution system in the urban areas to the extent of 33 per cent in order to conserve foreign exchange outgo on the imports of edible oil; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) A study by National Council of Applied Economic Research has suggested exclusion of certain categories of beneficiaries from foodgrain entitlements under the Public Distribution System (PDS).

(b) and (c) Allocation of PDS items is made to State Governments/UT Administrations as a whole. Decisions regarding allocations and scales of ration within the State are taken by the State Governments/UT Administrations.

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की कुल क्षमता का उपयोग न किया जाना

626. श्री रणजीत सिंह :
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परमाणु ऊर्जा का उत्पादन इन संयंत्रों की स्थापित उत्पादन क्षमता के अनुरूप नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो देश में मार्च, 1991 में परमाणु ऊर्जा की कुल उत्पादन क्षमता कितने मैगावाट थी; और

(ग) देश में भरपूर उत्पादन क्षमता का उपयोग न हो पाने का क्या कारण है ?

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा : (क) किसी अवधि में सप्लाई की गई वास्तविक औसतन बिजली सामान्यतः किसी भी बिजलीघर जिसमें परमाणु बिजलीघर भी शामिल है, की स्थापित क्षमता का प्रतिशत होती है। यह प्रतिशत क्षमता गुणक के नाम से जानी जाती है और यह अलग-अलग वर्षों तथा अलग-अलग यूनिटों में इसलिये अलग-अलग होती है क्योंकि बिजलीघरों को मजबूरन और योजनानुसार बन्द करना पड़ता है, तथा विभिन्न कारणों से उन्हें उनके निर्धारित मानों की तुलना में कम विद्युत स्तर पर चलाना पड़ता है। राजस्थान बिजलीघर के पहले यूनिट को छोड़कर वाणिज्यिक स्तर पर काम कर रहे सभी परमाणु बिजली घरों का वित्त वर्ष 1990-91 के दौरान कुल वार्षिक क्षमता गुणक बिजली की विक्रय दर निर्धारण के समय अपनाये गये 62.8% के वार्षिक मानदंड की तुलना में स्थापित क्षमता का लगभग 60% था।

(ख) राजस्थान, मद्रास और नरोरा की यूनिटों की क्षमताओं को 1465 मेगावाट की स्थापित विद्युत क्षमता के स्थान पर पुनः निर्धारित करने का प्रस्ताव परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा मई, 1991 में अनुमोदित कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप पुनः निर्धारित कुल स्थापित विद्युत क्षमता 1280 मेगावाट हो जायेगी। मार्च, 1991 में अधिकतम प्राप्य स्थापित क्षमता लगभग 1170 मेगावाट थी।

(ग) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट की दक्षिण एंड शील्ड में हल्के पानी के रिसाव को यांत्रिक तरीके से बन्द करने के परिणामस्वरूप परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने सन् 1987 से इसके प्रचालन विद्युत स्तर को इसकी 220 मेगावाट स्थापित क्षमता की तुलना में 100 मेगावाट तक सीमित कर दिया है। एंड शील्ड को बदलने का काम एक दीर्घकालीन परियोजना है और इसलिये परमाणु ऊर्जा आयोग ने इस यूनिट की क्षमता को घटाकर 100 मेगावाट करने के लिये अनुमोदन दे दिया है। मद्रास परमाणु बिजलीघर के पहले और दूसरे यूनिट के माडरेटर इनलेट मेनिफोल्डों के काम करना बन्द कर देने की समस्या को सुलझाने के लिये अंतरिम सुधारों को क्रियान्वित करने के फल-स्वरूप परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने अक्तूबर/नवम्बर, 1989 से इन दोनों यूनिटों के प्रचालन विद्युत स्तर को इनके पूरे विद्युत स्तर के लगभग 75% तक सीमित कर दिया है। इन यूनिटों को पुनः सामान्य विद्युत स्तरों पर चलाने के लिये आवश्यक उपाय किये जा रहे है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा नरोरा परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट को मार्च, 1991 में उसके पूरे विद्युत स्तर के 85% तक विद्युत स्तर पर चलाने के लिये प्राधिकृत किया गया था। बाद में 100% के पूर्ण स्तर पर चलाने के लिये प्राधिकृत कर दिया गया। बिजलीघर को चलाने में प्राप्त कई वर्षों के अनुभव और प्रणाली के वास्तविक कार्य निष्पादन के आधार पर परमाणु ऊर्जा आयोग ने राजस्थान परमाणु बिजली घर के दूसरे यूनिट की विद्युत क्षमता को 220 मेगावाट से घटाकर 200 मेगावाट निर्धारित करने तथा मद्रास परमाणु बिजलीघर और नरोरा परमाणु बिजलीघर के प्रत्येक यूनिट की विद्युत क्षमता को 235 मेगावाट से घटाकर 220 मेगावाट निर्धारित करने के लिये अनुमोदन दे दिया है।

उर्वरकों का औसत उपयोग

627. **श्री रणजीत सिंह :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पिछले दशक के दौरान उर्वरकों के वार्षिक औसत उपयोग में लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;